इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 23/08/2017 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या–03 में रामबाग एवं बैरहना में अवैध निर्माण के विरूद्ध की गई कार्यवाही के दौरान 13/12 लाउदर रोड रामबाग में श्री जीतेन्द्र केसरवानी पुत्र श्री भोला केसरवानी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित टायर शोरूम को सील किया गया एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री शिवशंकर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दुकान एवं गली में अवैध रूप से निर्मित दो दरवाजों को सील किया गया है।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 10 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे 01 चालान, की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व मे 02 चालान की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 03चालान, 10 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

23.08.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क